न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–31 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 482)

1. निरंजन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री छीतरमल शर्मा, जाति ब्राह्माण, निवासी ग्राम बासना, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा।

——अपीलान्ट

बनाम

1. श्री तेजाराम,
2. श्री रमेश,
3. श्री सीताराम पुत्रान स्व. श्री मूलचन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम पापड़दा, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री संजय शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांक 31.01.2025

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि आवंटी स्व. श्री मूलचन्द के मूल निवासी एवं अपीलार्थी के विवादित भूमि पर पीढियों से चले आ रहे कब्जे काश्त के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों तथा दस्तावेजी साक्ष्य पर कोई न्यायिक निष्कर्ष अंकित किये बिना ही सरसरी तौर पर कतई अवैध अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.20232 पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तथा आवंटन सलाहकार समिति ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हकपूर्वाधिकारी स्व.0 श्री मूलचन्द द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन के पृष्ठ भाग पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को नजरअंदजा करते हुए राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की सरासर अवहेलना करते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2023 पारित किया है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हककपूर्वाधिकारी को आवंटित की गई भूमि ना तो आवंटन योग्य भूमियों की सूची में अंकित भूमि थी और ना ही गैरमुमकिन नदी–नाले की भूमि को आवंटित ही किया जा सकता था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया स्पष्ट होने के बावजूद अपीलार्थी की विधिक आपत्तियों को निर्णित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2023 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हकपूर्वाधिकारी को क्रमशः खसरा नम्बर 1187/1390 रकबा 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 994/1396 रकबा 0.072 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 998/1389 रकबा 0.13 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 हैक्अयर जो कि साबिका खसरा नम्बर 1107 रकबा 6.02 हैक्टयर गैरमुमकिन नदी से बनाये गये नम्बर है, को अवैध रूप से आवंटित किया गया तथा आवंटन के समय उपलब्ध जमाबन्दी में खसरा नम्बर 994/1396 गैरमुमकिन नदी अंकित होने के कारण उसे छोड़कर शेष भूमियों का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 126 दिनलांक 13.06.1990 को तस्दीक किया जो अपने आप में सिद्ध करने के लिऐ पर्याप्त है कि विवादित भूमि का आवंटन या नियमन नही किया जा सकता था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2023 पारित किया है, विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की आपत्ति खसरा नम्बर 994/1396 का ना तो गैर खातेदारी का नामान्तरकरण खोला गया और ना ही रेस्पोडेन्ट अथवा उनके हकपूर्वाधिकारी ने भी कभी नामान्तरकरण संख्या 126 एवं 331 में खसरा नम्बर 994/1396 को अंकित करवाने हेतु कोई कार्यवाही की जिससे भी अपीलार्थी की आपत्तियॉ पूर्णतया सिद्ध होती है किन्तु उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में कोई न्यायिक निष्कर्ष अंकित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा कोई अनुतोष चाहे बिना ही खसरा नम्बर 994/1396 रकबा 0.07 हैक्टयर के आवंटन को भी बहाल करने का अवैध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2023 पारित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमियों का आवंटन किसी भी अवस्था में नही किया जा सकता जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा की गई उक्त आपत्तियों के सम्बन्ध में भी कोई न्यायिक निष्कर्ष अपीलाधीन निर्णय में अंकित किये बिना ही सरासरी तौर पर अवैध एवं विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2023 पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2023 एवं आवंटन आदेश दिनांक 01.06.1989 निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को समस्त राजस्व भू अभिलेखों में पुनः राजकीय अंकित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

रेस्पोडेन्ट बावजूद तामिल अनुपस्थित। उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि यदपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2023 में अंकित तो किया गया है कि प्रार्थी जिसके द्वारा भू आवंटन नियम 14(4) का

संभागीय आयुक्त

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, के द्वारा ऐसा कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे भूमि की किस्म गैर मुमकीन नदी प्रमाणित होती हो किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक रिकार्ड की जॉच किया जाना अपने निर्णय में कही भी अंकित नही किया है जिससे यह स्पष्ट ही नही हो पा रहा है कि साबिक रिकार्ड के अनुसार भूमि विवादग्रस्त गैर मुमकिन नदी थी अथवा नही। और यदि भूमि विवादग्रस्त की किस्म नदी थी और आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य हो तो खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात भी कानूनन आवंटन एबनिशियो वाईड (Ab initio void) होने की दशा में निरस्त किया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना मनन किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.07.2023 पारित किया गया जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.07.2023 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं भूमि विवादग्रस्त के साबिक रिकार्ड की जॉच पश्चात् यदि आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य हो तो आवंटन निरस्त कर भूमि को राजकीय घोषित करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जावें, तथा अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम कार्यवारही कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति संभागीय आयुक्त,
जयपुर।